

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास- पीयूष समारिया,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या- 80/2021

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर-2021/115

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया,
प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय,
नागौर

दिनेश बिश्नोई पुत्र श्री मुन्नाराम बिश्नोई
निवासी थामडिया तहसील खींवसर जिला
नागौर।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।

निर्णय

दिनांक - 05-05-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के तहत यह प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 15.08.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर को थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा दूरभाष पर पुलिस थाना खींवसर में डिटैन किये गये अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की सूचना दी गई। जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के निर्देशों की अनुपालना में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खींवसर पहुंचे। यहां पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर से सम्पर्क कर तहरीर प्राप्त की। श्रीमान् थानाधिकारी पुलिसथाना खींवसर की तहरीर के आधार पर पुलिस थाना खींवसर में डिटैनसुदा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थी श्री दिनेश बिश्नोई से पूछताछ कर उसके बयान दर्ज किये गये। अप्रार्थी दिनेश बिश्नोई ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि उसकी पांचला सिद्धा में हार्डवेयर की दुकान है जिस पर वह सराफत अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रूण से ट्रांसफार्मर ऑयल खरीदकर उक्त दुकान में भण्डारण कर विक्रय करता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को विक्रय कर मुनाफा कमाने का यह कारोबार वह पिछले एक माह से कर रहा है। श्री दिनेश बिश्नोई से पेट्रोलियम पदार्थ व ल्यूब ऑयल के भण्डारण व विक्रय सेसम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर अप्रार्थी दिनेश बिश्नोई ने इस सम्बन्ध में उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। श्री दिनेश बिश्नोई के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नहीं होने एवं अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण व व्यापार किया जाने पर 02 लोहे के ड्रम जिनमें एक ड्रम रंग नेवी ब्ल्यू व दूसरे का स्काई ब्ल्यू है मौके पर दोनों ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर नेवी रंग के ड्रम 215 लीटर व स्काई ब्ल्यू रंग के ड्रम में 145 लीटर अर्थात दोनों ड्रमों में कुल 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके अलावा तीन मापक जिनकी क्षमता कमश आधा लीटर, 2 लीटर व 10 लीटर, एक लोहे का कीप, एक लोहे का मैनमुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप लगा हुआ पाया गया को अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहित 2 ड्रमों से बराबर मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी में भरकर नमूने हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम कन्टेनरों में प्रति कन्टेनर 750 एम.एल. पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाकर तीनों नमूनों को कमश: ए.-1, ए.-2, ए.-3 मार्का दिया गया। लिये गये तीनों नमूनों के आन्तरिक एल्युमिनियम पात्रों व बुडन बॉक्सों पर आवश्यक सूचनाएँ चस्पा कर प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया गया। लिये गये नमूनों की पृथक से फर्द नमूना तैयार कर फर्द मौके पर साथ सलंगन किया गया। जब्तसुदा 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लिये गये नमूनों में से नमूना सं. ए.-1 वास्ते एफएसएल.



कलक्टर, नागौर

जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी में दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना ए-2 व ए-3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। अप्रार्थी दिनेश बिश्नोई का यह कृत्य लुब्रिकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस आदेश 1987 की क्लॉज 3, 4, 5 ए.का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रकरण में जब्तशुदा दो लोहे के ड्रम, तीन मापक जिनकी क्षमता क्रमशः 1/2 लीटर, 2लीटर व 10 लीटर है, एक लोहे की कीप, एक लोहे का मेनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा पाईप, एवं 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को समपहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक नागौर रामावतार पूनिया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत गलत चालान पेश किया गया है। अप्रार्थी से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई थी। पुलिस थाना खीवंसर व प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की झूठी व फर्जी बरामदगी दिनेश से बताई है। खीवंसर पुलिस तथा रसद विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा अप्रार्थी दिनेश को डरा, धमका कर कई खाली कागजों पर दिनेश के हस्ताक्षर करा कर दिये खाली कागजों पर लिखापट्टी कर झूठी बरामदगी, बयान वगैरा के फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये हैं। बताया गया माल अप्रार्थी दिनेश का नहीं है। उक्त माल को जब्त करने में आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी निर्दोष है और उस पर लगाये, सभी आरोप झूठे व मिथ्या हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है, का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी ने, अप्रार्थी को निर्दोष मानकर अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।
4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दिनांक 15.08.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर को थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर द्वारा दूरभाष पर पुलिस थाना खीवंसर में डिटैन किये गये अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की सूचना दिये जाने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा के निर्देशानुसार श्री शिवराम चौधरी व श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षकगण पुलिस थाना खीवंसर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर से सम्पर्क कर तहरीर प्राप्त कर पुलिस थाना खीवंसर में डिटैनसुदा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थी श्री दिनेश बिश्नोई से पूछताछ कर उसके बयान दर्ज किये गये, जिसमें अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया कि उसकी पांचला सिद्धा में हार्डवेयर की दुकान है जिस पर वह सराफत अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रूण से ट्रांसफार्मर ऑयल खरीदकर उक्त दुकान में भण्डारण कर विक्रय करता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को विक्रय कर मुनाफा कमाने का यह कारोबार वह पिछले एक माह से कर रहा है। अप्रार्थी से पेट्रोलियम पदार्थ व ल्यूब ऑयल के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उसके द्वारा उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। अप्रार्थी के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नहीं होने एवं अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण व व्यापार किया जाने पर 02 लोहे के ड्रम जिनमें एक ड्रम रंग नेवी ब्ल्यू व दूसरे का स्काई ब्ल्यू है मौके पर दोनों ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर नेवी रंग के ड्रम 215 लीटर व स्काई ब्ल्यू रंग के ड्रम में 145 लीटर अर्थात दोनों ड्रमों में कुल 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके अलावा तीन मापक जिनकी क्षमता क्रमशः आधा लीटर, 2 लीटर व 10 लीटर, एक लोहे का कीप, एक लोहे का मेनुअल पम्प जिसके एक सिरे पर 10 फीट लम्बा प्लास्टिक पाईप लगा हुआ पाया गया को अभिग्रहित किया गया। पेट्रोलियम पदार्थ के विधिवत नमूने लिये जाकर नमूनों की पृथक से फर्द नमूना तैयार कर फर्द मौका के साथ सलंगन किया गया। जब्तशुदा 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लिये गये नमूनों में से नमूना सं. ए.-1 वास्ते एफएसएल. जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी में दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। हस्तगत प्रकरण में वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी विभाग की गई उक्त कार्यवाही को गलत साबित करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जबकि मौके पर ही फर्द मौका, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा, फर्द नमूना तैयार किये गये हैं, जिन पर अप्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, इसके अलावा अप्रार्थी के बयान भी पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे भी प्रार्थी विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की पुष्टि होती है।



वक़्तवटर, नागौर

वकील प्रार्थी ने अपने जबाब में भी यह स्पष्ट रूप से कथन किये है कि "बताया गया माल अप्रार्थी दिनेश का नहीं है। उक्त माल को जब्त करने में आपत्ति नहीं है।" चूंकि अप्रार्थी स्वयं ने अपने जबाब में उक्त माल को जब्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य लुब्रिकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस आदेश 1987 की क्लॉज 3, 4, 5ए.का उल्लंघन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा दो लोहे के ड्रम, तीन मापक जिनकी क्षमता क्रमशः 1/2 लीटर, 2लीटर व 10 लीटर है, एक लौहे की कीप, एक लौहे का मेनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा पाईप, एवं 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को समपहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 360 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं दो लोहे के ड्रम, तीन मापक जिनकी क्षमता क्रमशः 1/2 लीटर, 2लीटर व 10 लीटर है, एक लौहे की कीप, एक लौहे का मेनुअल पम्प मय 10 फीट लम्बा पाईप का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।
6. निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, नागौर
कलेक्टर, नागौर